किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(अग्रणी महाविद्यालय)

Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

Email - kgcraigarh1958@gmail.com www.kgcollegeraigarh.ac.in

क्रमांक /1319/स्था./कैंटिन/2026 रायगढ़, दिनांक– 08/01/2026

//निविदा दर आमंत्रण सूचना//

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ छ.ग. के स्वामित्व में परिसर स्थित कैंटिन के संचालन हेतु वर्ष 2025–26 में 30 जून 2026 तक ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रसारण सूचना से 12/01/2026 से 27/01/2026 तक कार्यालयीन समय में वेबसाईट https://www.kgcollegeraigarh.ac.in/ में उपलब्ध निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराये गये शर्तों के अधिन निविदा दर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्ति सह उपस्थित होकर बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है।

निविदा, दिनांक 28/01/2026 को शायं 03 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

4. कैंटिन भवन आकार – 159.89 वर्ग मीटर
5. न्यूनतम किराया – रू. 3000/– प्रति माह
6. अमानत राशि – रू. 25000/– (पच्चीस हजार)

नोट–

5. निविदा प्रपत्र बंद लिफाफे में ही स्वीकार होगा।
6. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त किये जाने के संबंध में प्राचार्य एवं कैंटिन संचालन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
7. नियम एवं शर्तों के उल्लंघन होने अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी भी तरह के नियमों मे संशोधन किया जा सकता है।
8. निविदा स्वीकृति पश्चात 1 सप्ताह में अनुबंध निश्पादन एवं कैंटिंन का संचालन अनिवार्यतः प्रारम्भ करना होगा।

Sophia 08/01/26

प्राचार्य
किरोड़ीमल शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
रायगढ़ (छ.ग.)

कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

प्रति,

प्राचार्य,

कि.शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय

रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :— केंटीन संचालन हेतु प्रस्तावित किराया (निविदा दर)।

संदर्भ :— आपकी निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक .... दिनांक ....

----0----

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित निविदा आमंत्रण सूचना के तहत महाविद्यालय परिसर में केंटीन संचालन हेतु मेरे द्वारा निर्धारित प्रस्तावित किराया (निविदा दर) निम्नानुसार है :—

1. निविदा दाता का नाम — ....

2. पिता/पति का नाम — ....

3. पूर्ण पता — ....

....

(मतदाता परिचय पत्र का क्रमांक .... दिनांक ....)

4. केंटीन की स्थिति — महाविद्यालय परिसर कि. शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

5. केंटीन संचालन हेतु मेरे द्वारा प्रस्तावित किराया (निविदा दर) — राशि रू. ....

शब्दों में ....

उपरोक्तानुसार केंटीन संचालन हेतु मेरी निविदा दर प्रस्तुत है। इसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी पाए जाने पर मेरी निविदा निरस्त कर दी जावे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

नोट :— मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न।

हस्ताक्षर

नाम — ....

दिनांक — .... पता — ....

....

....

कार्यालय प्राचार्य

कि. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

केंटीन संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1) कि. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के आधिपत्य में परिसर स्थित केंटीन को स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 (म.प्र.) के प्रावधानों एवं छ.ग. शासन, कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी गाईड लाईन के आधार पर किराये दिया जाना है।

2) ऑफर (निविदा) के स्वीकृत होने की स्थिति में अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्राचार्य कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के नाम से जमा करना होगा, अन्यथा ऑफर निरस्त समझा जायेगा।

3) उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् किरायेदार स्वयं के व्यय से निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करेगा तथा पंजीयन करायेगा।

4) किरायेदार प्रत्येक 10 तारीख के भीतर किराये की राशि जमा करेगा। अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज देय होगा।

5) भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई किरायेदार को स्वयं करना होगा, बिजली कनेक्शन एवं बिजली व्यय किरायेदार को स्वयं वहन करना होगा।

6) किरायेदार को किसी अन्य व्यक्ति को केंटीन किराये पर देने अथवा सबलेट पर देने का अधिकार नहीं होगा।

7) केंटीन में किसी प्रकार का रद्दोबदल प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।

8) किरायेदार को जिस तल में जिस साईज की केंटीन आबंटित की गई हो, उतने में ही उसको किरायेदारी का हक होगा। ऊपर तल पर संबंधित किरायेदार का दावा/अधिकार नहीं होगा।

9) किरायेदार के द्वारा निर्धारित समय पर किराया नहीं पटाने पर केंटीन से बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।

10) उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर प्राचार्य बेदखली की कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

11) विवाद की स्थिति में प्राचार्य एवं केन्टीन संचालन समिति कि. शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

12) उक्त ऑफर दर के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

13) केंटीन में खाद्य सामग्री/पदार्थ का विक्रय मूल्य रायगढ़ बाजार मूल्य से 25 प्रतिशत कम होना अनिवार्य है।

14) केंटीन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का बायोडाटा महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।

15) केंटीन एवं केंटीन परिसर की साफ–सफाई की जिम्मेदारी स्वयं केंटीन संचालक को वहन करना होगा।

16) केंटीन में किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का उपयोग एवं वि क्र य सर्वथा वर्जित रहेगा।

17) केंटीन में महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त बाह्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।

18) केंटीन प्रारंभ में 11 माह के लिए किराये पर दी जायेगी, तत्पश्चात महाविद्यालय प्रशासन द्वारा केंटीन संचालक का कार्य संतोषप्रद होने पर द्विपक्षीय सहमति से किराये की अवधि में आगामी 11 माह के लिए क्रमशः वृद्धि की जा सकेगी।

19) केंटीन में आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था स्वयं केंटीन संचालक को करनी होगी।

20) महाविद्यालय चाहे तो ठेके की अवधि में क्रमशः वृद्धि के साथ किराया 5 से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

21) केंटीन में पेयजल एवं खाद्य सामग्री में गुणवत्ता मानक स्तर का होना चाहिए।

22) शासन एवं प्राचार्य के निर्देश का पालन अपरिहार्य होगा, इसके उल्लंघन की दशा में प्राचार्य को अनुबंध निरस्त करने का सर्वाधिकार होगा।

23) केंटीन खोलने एवं बंद करने का समय प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक रहेगा। शासकीय अवकाश दिवसों में केंटीन बंद रहेगी।

24) निविदा स्वीकृत होने की दशा में अमानत राशि के रूप में राशि 25000 रू. (पच्चीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट क्र./बैंकर्स चेक जमा करना अनिवार्य होगा।

25) केंटीन में बाल श्रमिकों द्वारा कार्य लेना वर्जित है।

08/01/26

प्र.प्राचार्य,
कि.शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
रायगढ़ (छ.ग.)